

छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.)/ मूल निवास स्थान (होम टाउन)  
जाने के लिए अग्रिम (एडवांस) लेने हेतु आवेदन पत्र

1. सरकारी कर्मचारी का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. पदनाम : .....
4. सेवा आरंभ करने की तारीख (स्थाई) : .....
5. वर्तमान वेतन व अन्य भत्ते : .....
6. स्थायी है या अस्थायी : .....
7. सेवा पुस्तिका में दर्ज मूल निवास स्थान/होम टाउन : .....
8. क्या पत्नी/पति नौकरी करती/करता है, यदि हों तो : .....
- क्या वह एल.टी.सी./होम टाउन लेने का/की हकदार है : .....
9. क्या यह रियायत मूल निवास स्थान यानि होम टाउन : .....
- जाने के लिए प्राप्त करनी है? यदि हों, तो उस ब्लॉक वर्ष : .....
- का उल्लेख करें जिसमें यह रियायत लेना चाहते हैं : .....
10. क) यदि यह रियायत भारत में ही किसी स्थान पर : .....
- जाने के लिए है तो स्थान का नाम बताएं जहाँ जाना : .....
- चाहते हैं : .....
- ख) ब्लॉक वर्ष जिसमें यह रियायत ले रहे हैं : .....
- 11) मुख्यालय से होम टाउन तक/गंतव्य स्थान तक, : .....से (स्थान)  
लघुत्तम मार्ग से, एकल रेल किराया/बस किराया/ : .....तक (स्थान)  
हवाई जहाज़ का किराया किराया रूप : ..... (प्रति व्यक्ति/एक तरफा)  
यात्रा की श्रेणी (हवाई जहाज़ द्वारा/ ए.सी.टायर-I/ : .....श्रेणी  
ए.सी.टायर- II/ ए.सी.टायर- III/स्लीपर श्रेणी/बस किराया) : .....
- 12) यात्रा की तारीख : .....
- 13) वापसी की तारीख : .....

14) उन व्यक्तियों का ब्यौरा, जिनके लिए प्रस्तावित एल.टी.सी/होम टाउन की रियायत लेनी है:-

क्र. सं.	नाम	आयु	आवेदक से रिश्ता

15. अग्रिम (एडवांस) के तौर पर राशि चाहिए : रुपए.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं लिखित घोषणा करता/करती हूँ कि अग्रिम प्राप्त करने के दस दिन के भीतर ही उपरोक्त वर्णित यात्रा की टिकटें प्रस्तुत कर दूंगा/दूंगी।

मैं यह भी लिखित घोषणा करता/करती हूँ कि यात्रा रद्द होने की स्थिति में या अग्रिम प्राप्त करने के दस दिन के भीतर यात्रा टिकटें प्रस्तुत करने में असफल होने पर मैं प्राप्त की गई पूरी अग्रिम राशि को एक ही किश्त में लौटा दूंगा/दूंगी।

दिनांक

( हस्ताक्षर )

नियुक्ति स्थल : .....

.....

### ( कार्यालय प्रयोग के लिए )

- 1) कॉलम 1 से 6 तक दिए गए तथ्य/विवरण सत्यापित किए गए : .....
- 2) प्रतिपूर्ति योग्य राशि : किराया रुपए : .....X2X (.....प्रतिपूर्ति टिकटों की संख्या)
- 3) स्वीकार्य अग्रिम (राशि के दुगने का 90%) रुपए : .....

रुपए ..... का अग्रिम (एडवांस) संस्वीकृत किया जा सकता है।

(संबंधित क्लर्क)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

आहरण व सवितरण अधिकारी ( डी.डी.ओ. )